दिनांक 20.09.2023 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

पशुपालको को लगने वाला अर्थदण्ड अब महॅंगा पड़ेगा

भिलाईनगर/रोका छेका संकल्प अभियान के तहत सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र से सितम्बर माह में अब तक सड़क एवं शहर के विभिन्न क्षेत्रो से 328 घूमन्तू मवेशियों को पकड़कर कोसानगर शहरी गौठान तथा डी मार्ट के पशु आश्रय स्थल में रखा गया है। आयुक्त रोहित व्यास ने भिलाई क्षेत्र में विशिष्ट जनो के आगमन को ध्यान में रखकर तथा पशुओं से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं में रोक लगाने के लिए रोका छेका संकल्प अभियान लगातार चालने के निर्देश दिये है। अवकाश के दिनों में भी निगम का राजस्व अमला शहर के विभिन्न चौक चौराहो एवं सड़को में घूम कर घूमन्तू मवेशियों को पकड़कर गौठान में रख रहे है।
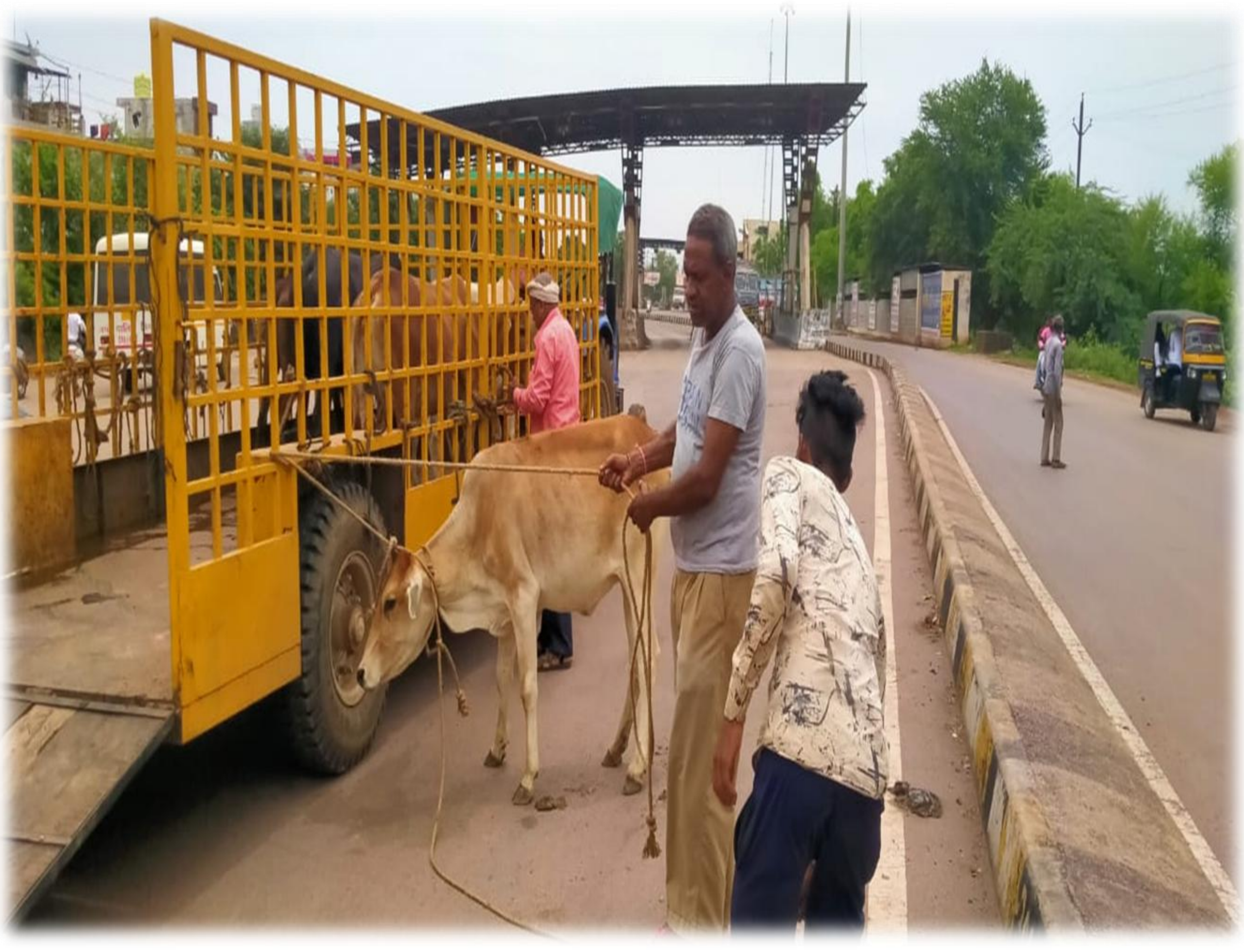
सितम्बर माह में 328 पशुओं को पकड़ा गया है। इसके पूर्व 800 से अधिक मवेशियों को गौठान में रखा गया है। जिसका पशुपालन विभाग द्वारा एनिमल टेगिंग किया जा रहा है। इधर महापौर परिषद ने गौठानो से पशुओं को छूड़ाने के लिए जाने वाले अर्थदण्ड में बढ़ौत्तरी करते हुए प्रथम बार 1000, द्वितीय बार 3000 एवं अंतिम बार 5000 रूपये का प्रस्ताव पारित किया है। इसके बाद भी पशु सड़क पर पाये जाते है , तो पशु मालिक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोट पुलिस में दर्ज कराने का प्रावधान किया गया है। आप को बता दे मान. उच्च न्यायालय ने सड़क पर घुमने वाले पशुओं के घड़पकड़ की कार्यवाही को सक्ती से करने के निर्देश दिये है।